तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
[illegible]	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फ[illegible] उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] दौरे/अन्य कार्य में [illegible]/मीटिंग [illegible] है। पत्रावली [illegible] दिनांक 16-02-23 को पेश हो।
16.02.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में श्री रघुनाथ सिंह एड0 ने अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब दरख्वास्त पेश नहीं कर सीधे ही प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। अतः वकील वादीगण की अनापत्ति के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा आवेदक/प्रार्थी श्री धन्नाराम पुत्र सुखाराम जाति बलाई निवासी मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को वादपत्र में प[illegible] संख्या 23 संयोजित किया जाता है। जिसे शीर्षक में [illegible] अंकित किया गया। वास्ते पेश होने जवाब दावा पत्रावली दिनांक 20[illegible].2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.14 17:13:19 IST
Reason: SelfAttested